

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिक्न उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.1.17 को पेश हो।

[Signature]

नम
अ
हुक
में

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिक्न उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.1.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिक्न उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12.6.17 को पेश हो।

[Signature]

**राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार वर्ष-2017**

श्रीमान सयुक्त हासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप-1) विभाग जयपुर & जिला पालना एवं जिला कलक्टर महो. सीकर के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों को पत्रावली पूर्व नियम 12-6-17 से तलब होकर पेश हुआ। उक्त दिशा निर्देश अनुबाला में पत्रावली लोक अदालत में पत्रावली हेतु प्रकट किये हैं। लोक अदालत/कैम्य कोर्ट स्थल बदल सेवा केंद्र ~~12-6-17~~ दिनांक 9-6-17 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी को भविष्य ज्ञापित करी है।

[Signature]

पत्रावली आप न्याय आपके

द्वार अभियान - 2017 के तहत आपके लोक अदालत कैम्य-रिसॉर्टिंग में पेश हुई। तदनुसार में अप्राप्ती नप 1 की ओर से उपस्थित सरकारी पत्रावली नमूने लक्ष्मी लक्ष्मी ने अकल कारका कि सम्बन्धित प्रकरण में कादग्रस्त केरके को प्रस्ताव नमूने मूर्ति मन्दिरे क

आपके, लक्ष्मी लक्ष्मी केरके को प्रस्ताव नमूने मूर्ति मन्दिरे क प्रस्ताव नमूने मूर्ति मन्दिरे क

9-6-17
MTOL
SMPR

[Signature]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहम हुकम में
	<p>नाम से वर्तमान में ब्योते दारी में दर्ज है। जिसमें किसी भी प्रकार का सम्प त्त आउटा जाये किफा जमान उचित नहीं है। इस पर पञ्चावली व पञ्चावली पर उपलब्ध सागरत रिपोर्ट उल्लेख का उपलब्ध किफा जमान उपलब्ध करके पर पञ्चावली जमान कि कादग्रस्त भूमि की ब्योते दारी वर्तमान में मूर्ति मन्दिर भी साधा किफा जमान महारत के नाम से दर्ज सागरत रिपोर्ट है। मूर्ति मन्दिर साधत नाम लिख है एवं सागरत है। मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज भूमियों की सर्वेक्षण, सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जिसके अन्तर्गत यह अन्तिम रूप से किसी भी प्रकार के सम्पत्त आउटा से पाक्य किफा जमान उचित प्रविष्ट नहीं होना है।</p> <p>उक्त वकील प्राधीना द्वारा प्रस्तुत प्राधीना पत्र आरफाई निवेदन</p>	

9/1/64

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनु-
कूल नहीं पाये जाते पर शरारत
की जाती है। पञ्जावली फैसल शुमार
बेहतर वरफ सम्मिलित कारिवाल दफ्तर
है।

Gm
18-06-2017 को न्याय आपके दफ्तर
अभिमन्यु - 2017 के बहस आगे-
जित्त शापस्व लोक अदालत कैम्प
कोर्ट - लिसाडिका के मामले - P-अमर
में सुनाना जमा

Gm
26/7/17
(सिद्धम लाल जज)
RAS
SDO - सीमा क्षेत्र
कैम्प - लिसाडिका